रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-11112022-240196 CG-MH-E-11112022-240196

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5021] No. 5021] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

रेल मंत्रालय

पश्चिम रेलवे [निर्माण संगठन]

शुद्धिपत्र अधिसूचना

मुंबई, 10 नवंबर, 2022

दिनांक 28/09/2022 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 4563 (अ) का शृद्धिपत्र

का.आ. 5240(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद िक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, राजकोट-कनालूस ब्रॉड गेज सिंगल लाइन का दोहरीकरण गुजरात राज्य में जिला राजकोट और जामनगर में, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है। दिनांक 28/09/2022 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या एसओ 4563 (ई) में टंकण संबंधी त्रुटियां थीं जिन्हें निम्नानुसार सुधारा जाता है:—

- 1- "जिला राजकोट" को "जिला जामनगर" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
- 2- "प्रान्त अधिकारी राजकोट ग्रामीण, जिला राजकोट" को "प्रान्त अधिकारी जामनगर (ग्रामीण), जिला जामनगर" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अविध के भीतर इस पर आपत्ति उठा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि का अधिग्रहण और उपयोग: ऐसी हर आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, प्रान्त अधिकारी- जामनगर (ग्रामीण), जिला जामनगर में की जाएगी। लिखित और उसके आधारों को निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी 7476 GI/2022

आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकारी के रूप में कर सकता है। आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को अनुमति दें या अस्वीकार करें।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (द्वितीय) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

IF. No. E-Office E-300405-21

फतेह सिंह मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक- ॥ (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

Western Railway [Construction Organization]

CORRIGENDUM NOTIFICATION

Mumbai, the 10th November, 2022

Corrigendum to Notification No. S.O. 4563(E), published on Dt.28/09/2022

- **S.O. 5240(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Rajkot-Kanalus doubling of Broad Gauge single line in District Rajkot and Jamnagar in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land. There were typographical errors which should corrected as below:—
 - 1- "District Rajkot" Should be read as "District Jamnagar"
 - 2- "Prant Officer Rajkot Rural, District Rajkot" should be read as "Prant Officer Jamnager (Rural), District Jamnagar"

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Jamnagar (Rural), District Jamnagar, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

[F. No. E-Office E-300405-2]

FATEH SINGH MEENA, Chief Project Manager-II (Construction)